न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी का नामः—**काना राम** आई. ए. एस.

प्रकरण संख्या :—**02/2023 विविध (धारा 14 सिक्योरिटाइजेशन)**

डीसीबी बैंक लिमिटेड़, रजिस्टर्ड कार्यालय :— 6 फ्लोर, टॉवर ए, पेनीसुला बिजनेस पार्क, सेनापति बापत मार्ग, लोवर पार्ले, मुम्बई—400013, महाराष्ट्र एवं शाखा कार्यालय — एस—5 द्वितीय तल, गीजगढ़ टॉवर, हवा सड़क, सिविल लाईन्स, जयपुर राजस्थान—302001 राजस्थान जरिये अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता अशोक मंगल।

———ः प्रार्थी बैंक/सिक्योर क्रेडिटर

बनाम

1. कृष्ण कासवान, निवासी —7/258, आरएचबी कॉलोनी, हनुमानगढ़ जंक्शन, जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)

———ःमूल ऋणी/बंधकग्रहिता

2. सुनीता कासवान, निवासी —7/258, आरएचबी कॉलोनी, हनुमानगढ़ जंक्शन, जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)

———ः सहऋणी

3. राकेश कुमार कासवान, निवासी —7/258, आरएचबी कॉलोनी, हनुमानगढ़ जंक्शन, जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)

———ः सहऋणी

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002।</u>

आदेश दिनांक :— 15/05/2024

प्रार्थी डीसीबी बैंक लिमिटेड़, जरिये अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता अशोक मंगल की ओर से श्री प्रद्युमन सिंह परमार एड़वोकेट/अधिवक्ता उपस्थित आये जिनको सुना गया। प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थीगण ने लोन खाता संख्या HHOMSAT00043381 के तहत दिनांक 13.12.2014 को राशि 5,58,840/—रुपये का ऋण प्रार्थी बैंक से लिया था। अप्रार्थीगण के नाम अचल सम्पत्ति प्लॉट नम्बर 7/258, आरएचबी कॉलोनी, हनुमानगढ़ जंक्शन तहसील व जिला हनुमानगढ़—335512 (राजस्थान) में स्थित है, जिसे अप्रार्थीगण/ऋणीयों/सहऋणीयों द्वारा प्रार्थी बैंक से ऋण प्राप्त कर उक्त प्लॉट के दस्तावेज को प्रार्थी बैंक के पास रहन/बंधक/आडमान किया।

अप्रार्थीगण/[illegible] प्रार्थी बैंक को नियमानुसार नहीं चुकाया, जिसकी वजह से प्रार्थी बैंक [illegible] खाते को दिनांक 04.07.2022 को एन पी ए घोषित कर दिया व [illegible] लोन खाते के पैटे खाता संख्या HHOMSAT00043381 में ऋण की कुल बकाया [illegible]2,02,208.

Signature Not Verified
Digitally signed by Kana Ram
Date: 2024.10.10 11:20:30 IST
Reason: SelfAttested

94/–रुपये (अखरे दो लाख दो हजार दो सौ आठ रुपये एवं चौरांवें पैसा) दिनांक 31.08.2022 तक की ब्याज राशि शामिल करते हुए तथा इसके आगे का ब्याज व अन्य खर्चे पृथक से बकाया निकलते है।

उक्त ऋण खाता दिनांक 04.07.2022 को एन.पी.ए. घोषित होने के कारण एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत प्रार्थी बैंक ने ऋणी (अप्रार्थीगण) एवं सहऋणी को दिनांक 31.08.2022 (रजिस्टर्ड रसीद दिनांक 02.09.2022) को रजिस्टर्ड नोटिस भिजवाये गये, जोकि अप्रार्थीगण को प्राप्त हो गये, तत्पश्चात् भी अप्रार्थीगण ने नोटिस की मियाद निकलने के पश्चात् भी आज प्रार्थना पत्र दायरी तक अप्रार्थीगण द्वारा सम्पूर्ण ऋण राशि जमा नहीं करवाई गई एवं ना ही, बंधकशुदा सम्पत्ति का सम्पूर्ण वास्तविक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिया गया, जिस पर बंधक सम्पत्ति का वास्तविक एवं भौतिक कब्जा प्राप्त करना आवश्यक हुआ है।

प्रार्थी बैंक को उपरोक्त नोटिस के अनुसार 60 दिन के अन्दर–अन्दर ऋण राशि लोन खाता संख्या HHOMSAT00043381 में ऋण की कुल बकाया राशि 2,02,208.94/–रुपये (अखरे दो लाख दो हजार दो सौ आठ रुपये एवं चौरांवें पैसा) दिनांक 31.08.2022 तक ब्याज शामिल करते हुए तथा इसके आगे का ब्याज व अन्य खर्चे पृथक से जमा कराना है, परन्तु ऋणी एवं सहऋणी ने उपरोक्त नोटिस के अनुसार सम्पूर्ण ऋण राशि जमा नहीं करवाई, के कारण एक्ट के प्रावधानों के अनुसार कब्जे व नीलामी की कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है।

एक्ट की धारा 14 के अन्तर्गत प्रावधानों में प्रार्थी बैंक को निम्न बंधक सम्पत्ति का वास्तविक कब्जा लेने व क़ायम रखने में सहायता आवश्यक है के कारण अप्रार्थीगण की बंधक सम्पत्ति प्लॉट नम्बर 7/258 आर एच बी कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन तहसील व जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान) का वास्तविक एवं भौतिक कब्जा प्राप्ति हेतू अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता को दिलवाया जाने एंव सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को सुपुर्द करवाने व कब्जा कायम रखने के लिए एंव प्रतिभूत आस्तियों के सूचारू रूप से विक्रय एवं अंतरण (नीलामी) हेतू बल उपलब्ध करवाने का आदेश फरमाया जावें।

प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता के कथनों पर मनन किया और पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी बैंक को ऋण राशि का भुगतान करने में असफल रहने पर प्रार्थी बैंक द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को नोटिस प्रेषित करना पाया गया, इसके पश्चात् भी अप्रार्थीगण द्वारा ऋण की शर्तो के मुताबिक ऋण राशि का भुगतान प्रार्थी बैंक को नहीं करने पर The Securitisation And Reconstruction Of Financial Assets And Enforcement Of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत तथा प्रार्थी बैंक के द्वारा पेश किये गये शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए प्रार्थी बैंक का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी सम्पत्ति प्लॉट नम्बर 7/258 आर एच बी कॉलोनी, हनुमानगढ़ जंक्शन तहसील वं जिला हनुमानगढ़–335512 (राजस्थान) में स्थित है, जिसका भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक को दिलवाये जाने का आदेश दिये जाते है। जिला पुलिस अधीक्षक हनुमानगढ़ को निर्देश दिये जाते है कि प्रार्थी बैंक को चाहे

Signature Not Verified
Digitally signed by Kana Ram
Date: 2024.10.10 11:20:30 IST
Reason: SelfAttested

अनुसार पुलिस सहायता सम्बंधित पुलिस थाना के माध्यम से नियमानुसार उपलब्ध करवाई जावें। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर की जावें।

यह आदेश आज दिनांक 15/05/2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

जिला मजिस्ट्रेट
जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़
हनुमानगढ़

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सत्यमेव जयते हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Kana Ram
Date: 2024.10.10 11:20:30 IST
Reason: SelfAttested